इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्र.—एफ—02—05—2020—पैंतीस.— पशुपालन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23—2—2018—पैंतीस, दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009, (2009 का 27)" की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत जिला भोपाल में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भेद के कारण, रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु भोपाल नगर निगम क्षेत्र को "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया गया था एवं तद्नुसार इस क्षेत्र में अश्व प्रजाति के पशुओं के आवागमन एवं इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रिकरण को प्रतिबंधित किया गया था.

2. भोपाल नगर निगम क्षेत्र में रोग के नियंत्रण हेतु किये गये Glanders surveillance में, अश्वों के नमूनों में रोग की पुष्टि नहीं होने तथा यह समाधान होने पर कि अश्वों को प्रभावित करने वाला ग्लैन्डर्स रोग अब उक्त क्षेत्र में नहीं है. अतः राज्य सरकार एतद्द्वारा "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009, (2009 का 27)" की धारा 6 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत राज्य के भोपाल नगर निगम क्षेत्र को ग्लैन्डर्स रोग से "मुक्त क्षेत्र" घोषित करता है तथा इस क्षेत्र को अश्वों के आवागमन एवं इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रिकरण पर प्रतिबंध से मुक्त करता है.

No. F-02-05-2020-XXXV.– In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 read with sub-section (1) and (2) of Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009) the Government of Madhya Pradesh, Animal Husbandry Department vide Notification No. 23-2-2018/35 Date 05th June 2018 declared the municipal area of Bhopal as "controlled area" with the aim of preventing, controlling and eradicating the Glanders, thus prohibited the movement and holding of reces, fair, exhibition, games and gathering of equines in the municipal area of Bhopal.

2. And whereas disease not confirm in samples of horse during Glanders surveillance in the notified area and now it is resolved that Glanders disease affecting the horse is no longer in the said area. Therefore, the Madhya Pradesh Government, declares the municipal area of Bhopal as "free area", in exercise of the power conferred by subsection (5) of Section 6 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious disease in Animals Act 2009 (No. 27 of 2009) and lifts the prohibition on movement and holding of races, fair, exhibition, games and gathering of equines in the Municipal area of Bhopal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्र.–एफ–02–05–2020–पैंतीस.– पशुपालन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–02–01–2019–पैंतीस दिनांक 07 फरवरी 2019 द्वारा "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009, (2009 का 27)" की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत सीहोर जिले के ग्राम मूंगावली में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भेद के कारण, रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राज्य के सीहोर जिले के ग्राम मूंगावाली एवं उसकी 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया गया था एवं तद्‌नुसार इस क्षेत्र में अश्व प्रजाति के पशुओं के आवागमन एवं इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रिकरण को प्रतिबंधित किया गया था.

2. सीहोर जिले के ग्राम मूंगावली में रोग के नियंत्रण हेतु किये गये Glanders surveillance में, अश्वों के नमूनों में रोग की पुष्टि नहीं होने तथा यह समाधान होने पर कि अश्वों को प्रभावित करने वाला ग्लैन्डर्स रोग अब उक्त क्षेत्र में नहीं है. अतः राज्य सरकार एतद्द्वारा "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009, (2009 का 27)" की धारा 6 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत राज्य के सीहोर जिले के ग्राम मूंगावाली एवं उसकी 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को ग्लैन्डर्स रोग से "मुक्त क्षेत्र" घोषित करता है तथा इस क्षेत्र को अश्वों के आवागमन एवं इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रिकरण पर प्रतिबंध से मुक्त करता है.

No. F-02-05-2020-XXXV.– In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 read with sub-section (1) and (2) of Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act 2009 (No. 27 of 2009) the Government of Madhya Pradesh, Animal Husbandry Department vide Notification No.F-02-01-2019-35 Date 07th February 2019 declared village Mungawli (District Sehore) and the area within 10 K.M. of its radius as "controlled area", with the aim of preventing, controlling and eradicating the Glanders, thus prohibited the movement and holding of reces, fair, exhibition, games and gathering of equines in the village Mungawli (District Sehore) and the area within 10 K.M. of its radius.

2. And whereas disease not confirm in samples of horse during Glanders surveillance in the notified area and now it is resolved that Glanders disease affecting the horse is no longer in the said area. Therefore, the Madhya Pradesh Government, declares village Mungawli (District Sehore) and the area within 10 K.M. of its radius as "free area" in exercise of the power conferred by subsection (5) of Section 6 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act 2009 (No. 27 of 2009) and lifts the prohibition on movement and holding of races, fair, exhibition, games and gathering of equines in the village Mungawli (District Sehore) and the area within 10 K.M. of its radious.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्र.–एफ–02–05–2020–पैंतीस.– पशुपालन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–23–03–2018–पैंतीस दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 द्वारा "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009, (2009 का 27)" की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत जिला हरदा के नगर खिरकिया (नगर परिषद खिरकिया) एवं जिला रायसेन के ग्राम घाटपिपरिया (तहसील बरेली, विकासखण्ड बाडी में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भेद के कारण, रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राज्य के जिला हरदा के नगर खिरकिया (नगर परिषद खिरकिया) एवं जिला रायसेन के ग्राम घाटपिपरिया (तहसील बरेली, विकासखण्ड बाडी तथा उसकी 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया गया था एवं तद्नुसार इस क्षेत्र में अश्व प्रजाति के पशुओं के आवागमन एवं इन पशुओं की दौड़ मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रिकरण को प्रतिबंधित किया गया था.

2. जिला हरदा के नगर खिरकिया (नगर परिषद खिरकिया) एवं जिला रायसेन के ग्राम घाटपिपरिया (तहसील बरेली, विकासखण्ड बाडी) में रोग के नियंत्रण हेतु किये गये Glanders surveillance में, अश्वों के नमूनों में रोग की पुष्टि नहीं होने तथा यह समाधान होने पर कि अश्वों को प्रभावित करने वाला ग्लैन्डर्स रोग अब उक्त क्षेत्र में नहीं है. अतः राज्य सरकार एतद्द्वारा "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009, (2009 का 27)" की धारा 6 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत राज्य के जिला हरदा के नगर खिरकिया (नगर परिषद खिरकिया) एवं जिला रायसेन के ग्राम घाटपिपरिया (तहसील बरेली, विकासखण्ड बाडी) तथा उसकी 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को ग्लैन्डर्स रोग से "मुक्त क्षेत्र" घोषित करता है तथा इस क्षेत्र को अश्वों के आवागमन एवं इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रिकरण पर प्रतिबंध से मुक्त करता है.

No. F-02-05-2020-XXXV.– In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 read with sub-section (1) and (2) of Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act 2009 (No. 27 of 2009) the Government of Madhya Pradesh, Animal Husbandry Department vide Notification No. F-23-03-2018-35 Date 03rd October 2018 declares city Khirkiya (Nagar Parishad Khairkiya, District Harda) and village Ghatpipariya (Tehsil Bareilly, Block Badi District Raisen) and the area within 10 K.M. of their radious as " controlled area", with the aim of preventing, controlling and eradicating the Glanders, thus prohibited the movement and holding of reces, fair, exhibition, games and gathering of equines in the declared city Khirkiya (Nagar Parishad Khairkiya, District Harda) and village Ghatpipariya (Tehsil Bareilly, Block Badi District Raisen) and the area within 10 K.M. of their radius.

2. And whereas disease not confirm in samples of horse during Glanders surveillance in the notified area and now it is resolved that Glanders disease affecting the horse is no longer in the said area. Therefore, the Madhya Pradesh Government, declares declared city Khirkiya (Nagar Parishad Khirkiya, District Harda) and village Ghatpipariya (Tehsil Bareilly, Block Badi District Raisen) and the area within 10 K.M. of their radius as "free area", in exercise of the power conferred by subsection (5) of Section 6 of the Prvention and Control of Infectious and Contagious disease in Animals Act 2009 (No. 27 of 2009) and lifts the prohibition on movement and holding of races, fair, exhibition, games and gathering of equines in the declared city Khirkiya (Nagar Parishad Khirkiya, District Harda) and village Ghatpipariya (Tehsil Bareilly, Block Badi District Raisen) and the area within 10 K.M. of their radius as.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्र.–एफ–02–05–2020–पैंतीस.– पशुपालन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–23–01–2018–पैंतीस दिनांक 23 मई 2018 द्वारा "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009, (2009 का 27)" की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत जिला खण्डवा के ग्राम कोरगला (ग्राम पंचायत कोरगला, विकासखण्ड खण्डवा) एवं ग्राम मुन्दी (नगर पंचायत मुन्दी) में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भेद के कारण, रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु जिला खण्डवा के ग्रम कोरगला (ग्राम पंचायत कोरगला, विकासखण्ड खण्डवा) एवं ग्राम मुन्दी (नगर पंचायत मुन्दी) तथा इन ग्रामों की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया गया था एवं तद्‌नुसार इस क्षेत्र में अश्व प्रजाति के पशुओं के आवागमन एवं इन पशुओं की दौड़ मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रिकरण को प्रतिबंधित किया गया था.

2. जिला खण्डवा के ग्राम कोरगला (ग्राम पंचायत कोरगला, विकासखण्ड खण्डवा) एवं ग्राम मुन्दी (नगर पंचायत मुन्दी) में रोग के नियंत्रण हेतु किये गये Glanders surveillance में, अश्वों के नमूनों में रोग की पुष्टि नहीं होने तथा यह समाधान होने पर कि अश्वों को प्रभावित करने वाला ग्लैन्डर्स रोग अब उक्त क्षेत्र में नहीं है. अतः राज्य सरकार एतद्‌द्वारा "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009, (2009 का 27)" की धारा 6 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत राज्य के जिला खण्डवा के ग्राम कोरगला (ग्राम पंचायत कोरगला, विकासखण्ड खण्डवा) एवं ग्राम मुन्दी (नगर पंचायत मुन्दी) तथा उसकी 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को ग्लैन्डर्स रोग से "मुक्त क्षेत्र" घोषित करता है तथा इस क्षेत्र को अश्वों के आवागमन एवं इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रिकरण पर प्रतिबंध से मुक्त करता है.

No. F-02-05-2020-35.– In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 read with sub-section (1) and (2) of Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act 2009 (No. 27 of 2009) the Government of Madhya Pradesh, Animal Husbandry Department vide Notification No. F-23-01-2018-35 Date 23rd May 2018 declared village Korgala (Gram Panchayat Korgala, Block Khandwa, District Khandwa) and village Mundi (Nagar Panchayat Mundi, District Khandwa) and the area within 10 K.M. of their radious of these villages as "controlled area", with the aim of preventing, controlling and eradicating the Glanders, thus prohibited the movement and holding of reces, fair, exhibition, games and gathering of equines in the village Korgala (Gram Panchayat Korgala, Block Khandwa, District Khandwa) and village Mundi (Nagar Panchayat Mundi, District Khandwa) and the area within 10 K.M. radius of these villages.

2. And whereas disease not confirm in samples of horse during Glanders surveillance in the notified area and now it is resolved that Glanders disease affecting the horse is no longer in the said area. Therefore, the Madhya Pradesh Government, declares village Korgala (Gram Panchayat Korgala, Block Khandwa, District Khandwa) and village Mundi (Nagar Panchayat Mundi, District Khandwa) and the area within 10 K.M. radious of these villages as "free area", in exercise of the power conferred by sub-section (5) of Section 6 of the Prvention and Control of Infectious and Contagious disease in Animals Act 2009 (No. 27 of 2009) and lifts the probhibition on movement and holding of races, fair, exhibition, games and gathering of equines in the declared village Korgala (Gram Panchayat Korgala, Block Khandwa, District Khandwa) and village Mundi (Nagar Panchayat Mundi, District Khandwa) and the area within 10 K.M. radius of these villages.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.